स्थाई वार्ता तंत्र की बैठक के लिये दिनांक 05.09.2014 को निम्नलिखित मद प्रधान कार्यालय भेजे गये।

1. डी.ए. घोषण से पूर्व रिटायर कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान के सम्बन्ध में।

2. प्रमोशन पर आप्सन न होने के कारण कर्मचारी को एक वेतन वृद्धि का नुकसान एवं समकक्ष कर्मचारी से सदा के लिये कम वेतन पाना।

3. आपातकालीन परिस्थितियों में रेलवे कर्मचारी को मेडिकल सुविधाओं के मिलने में परेशानी के सम्बन्ध में।

4. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में लार्जेस के तहत रेलवे बोर्ड नियमों का पालन न किया जाना।

5. नार्थ सेन्ट्रेल रेलवे आवासों में क्वाटर की श्रेणी के अनुसार सुविधायें न देने एवं ठेकेदार द्वारा खराब क्वालिटी का सामान लगाने के सम्बन्ध में।

6. अनुकम्पा आधार पर नौकरी देने में मानवीय पक्ष की अनदेखी।

7. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में एस. एण्ड.टी एवं आपरेटिंग ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में।

8. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में Apprentices Act 1961 के तहत ट्रेनिंग न कराना।

9. पी. वे. सुपरवाइजर सहित सभी विभागों के सुपरवाइजरों को साप्ताहिक विश्राम देने के सम्बन्ध में।

10. D&AR के नियम के तहत WIT पनिशमेन्ट होने अथवा अनुचित रूप से सी.आर. खराब करने पर कर्मचारी को प्रमोशन से वंचित किया जाना।

11. रनिंग रूम/रेस्ट रूम कमेटी का गठन न होना एवं उसमें यूनियन प्रतिनिधि को शामिल न करना।

12. दादरी व मैनपुरी स्टेशन पर चिकित्सकीय सुविधाओं का आभाव के सम्बन्ध में।

13. टिकट चेकिंग व ट्रैफिक रनिंग कर्मचारियों के लिये छिवकी में मिनी मुख्यालय का खोला जाना।

14. उप मुख्य सिगनल एवं टेलीकाम इंजीनियर/प्रोजेक्ट/IRPMU/कानपुर के कार्यालय को 5 दिन का किया जाना।

15. मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय आगरा में NCRES कर प्रेम कार्यालय न होना।

16. टावर वैगन ड्राइवरों के साथ घोर अन्याय।

17. रनिंग स्टाफ के PME पीरियड को ड्यूटी न माना जाना।

18. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कार्यरत Ex-Servicemen के Pay fixation के सम्बन्ध में।

19. अन्तर जोनल/अन्तर मंडल/म्यूचुवल ट्रान्सफर में हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

20. मान्यता प्राप्त यूनियन के कार्यालयों पर लागू कार्यालय किराया, बिजली एवं पानी शुल्क के सम्बन्ध में।

21. निर्माण विभाग के कर्मचारियों को सेवानिवृति के पश्चात मंडल कार्यालय द्वारा दिये जाने वाले ग्रैच्यूटी/पेन्शन आदि के भुगतान में देरी के सम्बन्ध में।

22. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में मौसम के अनुसार ओवर कोट, रेन कोट आदि न सप्लाई किया जाना।

23. पिछले 7–8 वर्षो से प्रत्येक वर्ष नवम्बर से अप्रैल के बीच कर्मचारियों को टी.ए., रात्रि भत्ता आदि का भुगतान बंद होना।

24. लेखा विभाग इलाहाबाद जोन के कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान न होना।

25. सरप्लस कैशियरों को समाहित न किया जाना।

26. रेलवे बोर्ड के आदेश के विपरीत कर्मचारी पूल का रेलवे क्वाटर अधिकारी पूल में ट्रान्सफर करना।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री